संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/कार्या.स्था/सेल-1/2020/1932 भोपाल, दिनांक 07/10/2020

प्रति,

श्री सुमित दुबे(द्विवेदी),
सहायक ग्रेड-02,
स्थानीय कार्यालय।

विषयः- कारण बताओ सूचना पत्र।

-0-

यह कि आप सुमित दुबे (द्विवेदी) सहायक ग्रेड-02, के पद पर संचालनालय में पदस्थ है। और वर्तमान में (अनाधिकृत शाखा) का कार्य संपादित कर रहे है। आपके द्वारा दिनांक 29.09.2020 को आयुक्त स्वास्थ्य को सीधे पत्र प्रेषित किया। इस संबंध में आप अपना निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे-

1. यह कि आपने दिनांक 29.09.2020 को आयुक्त स्वास्थ्य को सीधे पत्र प्रेषित किया जिसमें पत्र की भाषा आचरण नियम के विरूद्व हैं।
2. यह कि दिनांक 30.09.2020 को आपको व्यक्तिगत सुनवाई के लिये आयुक्त महोदय ने अपना पक्ष रखने के लिये बुलाया, सुनवाई के दौरान भी आपका पक्ष शासकीय कर्मचारी के तहत मर्यादित नहीं था।
3. यह कि आपके द्वारा दिनांक 29.09.2020 को सीधे पत्र आयुक्त स्वास्थ्य को प्रस्तुत किया जबकि आपको कार्यालय प्रमुख को पत्र संबोधित करना था।
4. यह कि आपके द्वारा दिनांक 29.09.2020 को जो पत्र प्रस्तुत किया वह आपने सामाजिक कार्यकर्ता/कला समीक्षक एवं अन्य लेटर हेड पर उल्लेखित पत्र प्रेषित किया आप विभाग में सहायक ग्रेड-02 के पद पर कार्यरत् है, न कि सामाजिक कार्यकर्ता/कला समीक्षक इत्यादि, जो आचरण नियमों के विरूद्व है। आपके द्वारा आपके पद के अनुरूप पत्र प्रेषित न कर सामाजिक कार्यकर्ता/कला समीक्षक आदि का लेटर हेड का उपयोग करते है। जो कि म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के अंतर्गत कृत्य के अंतर्गत आता है।
5. यह कि आपके द्वारा दिनांक 04.09.2020 को भी सीधे आयुक्त स्वास्थ्य को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरूस्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत किये जबकि उक्त पत्र भी आपको कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना था, जो ऐसा न करते हुये आपने सीधे आयुक्त स्वास्थ्य को पत्र प्रेषित किया यह भी म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के विरूद्व है।
6. यह कि आपके द्वारा दिनांक 04.09.2020 को जो पत्र प्रस्तुत किया, उसमें आपकी भाषा आयुक्त स्वास्थ्य को प्रेषित पत्र में निर्देश की भाषा लिखी की अनुशंसा कर संभागायुक्त आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल को भेजते हुये प्रार्थी को सूचित करे, उक्त पत्र में निर्देश आयुक्त स्वास्थ्य को लिखने हेतु आप अधिकृत नहीं थे। यह भी म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के विरूद्व है।

निरन्तर......

7. यह कि आपके द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य को दिनांक 29.09.2020 को जो पत्र प्रेषित किया उसमें आपने उल्लेखित किया कि प्रस्ताव को तैयार करने में काफी मेहनत एवं राशि व्यय हुई, और प्रस्ताव की दोनो प्रतियां वापस करने का उल्लेख किया। उक्त भाषा को पत्र में सीधे आयुक्त स्वास्थ्य को लिखने हेतु आप अधिकृत नहीं थे, इससे यह स्पष्ट होता है कि आपको शासकीय नियमों का कोई ज्ञान नहीं है और आपकी भाषा वरिष्ठ अधिकारी को निर्देशित करने जैसी स्पष्ट हो रही है जिसके लिये आप अधिकृत नहीं थें।
8. यह कि आपकी कार्यशैली से यह स्पष्ट हो रहा है कि आप अपने पदीय कर्तव्य सहायक ग्रेड–02 को उत्तरादायित्व निर्वाह न करते हुये सामाजिक कार्यकर्ता/कला समीक्षक, जैसे लेटर हेड में आपने अंकित किया है उसके अनुरूप आप वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे पत्राचार करते है जो अनुशासनहीनता की श्रेणी मे आता है।
9. यह कि आपके द्वारा शासकीय पत्राचार करते समय समाजिक कार्यकर्ता/कला समीक्षक व अन्य लेटर हेड में जो पत्राचार करते वह म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम–1965 के अंतर्गत उल्लघंन के श्रेणी मे आता है।

अतः क्यो न आपके द्वारा किये गये कृत्य/अनुशासनहीनता/पद का दुरूपयोग/वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश आदि म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम–1965 के नियम–3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का स्पष्ट उल्लंघन है। क्यो न आपकी 02 वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोकी जाना प्रस्तावित है। आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही आपके प्रकरण में की जावेगी।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।</u>

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ. क्र/4/कार्या.स्था/सेल–1/2020/1933 — भोपाल, दिनांक 07 /10/2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर संचालक, शिकायत, स्थानीय कार्यालय।
2. उप संचालक, शिकायत, स्थानीय कार्यालय।
3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
4. अधीक्षक, शिकायत, स्थानीय कार्यालय।
5. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश